न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
आँगन मालिक (विजय शंकर झा)

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,
केस संख्या– **418/2020–21,**
केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं आँगन के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक– 50/म0नि0 एवं दिनांक–13.01.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 623/2019, में जप्त देशी शराब के विनष्टीकरण एवं आँगन के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–बसौना वार्ड नं0 13, थाना–बनगाँव, घटना की तिथि–23.12.2019 के साथ वर्णित है कि– "गुप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त स्थान एवं तिथि को अपने अधीनस्थ कर्मियों एवं जवानों के सहयोग से अभियुक्त के आँगन के कोने से प्लास्टीक के बोरे में छिपाकर रखे गये 500 एम0एल0 का 10 पाउच अवैध चुलाई देशी शराब बरामद हुआ। जप्त शराब से 500 एम0एल0 का 02 पाउच करीब 01 ली0 न्यायालय के आदेश से जाँच की गई है। जाँच प्रतिवेदन संलग्न है। अतः अनुरोध है कि शेष बचे 04 लीटर चुलाई देशी शराब को विनष्ट करने संबंधी अग्रतर आदेश देने की कृपा की जाय।" उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त आँगन के अधिहरण के बिन्दु पर प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के आलोक में प्रतिवादी विजय शंकर झा, पिता– स्व0 मकेश्वर झा, साकिन– बसौना, थाना– बनगाँव, जिला– सहरसा दिनांक 29.09.20 को उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने हेतु समयावेदन दाखिल किए। बाद के तिथियों में वे अनुपस्थित रहने लगे और उनके ओर से जवाब भी दखिल नहीं किया गया। राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि आँगन का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य	

निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त आँगन को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के अनुपस्थिति रहने के कारण उनके अनुपस्थिति में राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि उक्त अधिहरण वाद में जप्त परिसर के संबंध में दी गई विवरणी अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। उक्त अधिहरण प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। जप्त परिसर में बहुत ही कम मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। अतः विपक्षी को कड़ी चेतावनी देते हुए इस अधिहरण वाद को अस्वीकृत कर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 21 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 08.01.21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

8.01.21

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

8.01.21